कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कन्हैया लाल शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोह, डीग जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसबुर्जा जिला भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3589/2019 कन्हैया लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3589/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावदेन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के हेड इंजरी एवं स्वयं के अस्थमा रोग से पीडित होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथवाड़ा, पहाडी, भरतपुर या एसीबीईओ–प्रथम कुम्हेर, भरतपुर अथवा राबाउमावि सीकरी, नगर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर उनका समायोजन/पदस्थापन राउमावि, कैथवाडा, पहाडी जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। कन्हैया लाल शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से संबंधित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता) 16/01
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/कन्हैयालाल/3589/2019 दिनांक 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री कन्हैया लाल शर्मा, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।

11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner